

प्रदेशभर के ढाई वर्ष में दर्ज साइबर प्रकरणों का ब्योरा जुटाया, पोर्नोग्राफी के मामले दूसरे नंबर पर

फर्जी प्रोफाइलें व मानहानि के सर्वाधिक मामले

जफर खान जफर • इंदौर

9926033955

प्रदेश में बढ़ रहे सायबर क्राइम की रोकथाम और हाईटेक अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मप्र के सभी जिलों से एकत्रित ढाई वर्ष के प्रकरणों के विश्लेषण में चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 42 प्रतिशत मामले इंटरनेट पर फर्जी प्रोफाइलें बनाने, मानहानि या चरित्र हनन के सामने आए हैं, जबकि पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले 13 प्रतिशत हैं। 15 श्रेणियों में हुए विश्लेषण के निष्कर्ष के आधार पर इंदौर पुलिस रेडियो ट्रेनिंग सेंटर सायबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए पुलिस अफसरों को प्रशिक्षण देगा।

गौरतलब है कि इंदौर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग सेंटर (पीआरटीएस) द्वारा प्रदेश के 51 जिलों व सायबर सेल सेल में

पिछले ढाई वर्ष में जनवरी 2012 से लेकर जून 2014 तक के बीच घटित सायबर क्राइम का ब्योरा एकत्र किया है। इस अवधि में लगभग करीब 1400 मामले पुलिस में दर्ज हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक सायबर अपराध इंदौर जिले में होना पाया गया था। आईजी वरुण कपूर ने 'पीपुल्स समाचार' को बताया कि पिछले ढाई वर्ष के प्रकरणों की समीक्षा की गई कि किस तरीकों से हाईटेक अपराधी सायबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए क्राइम की 15 श्रेणियां बनाई गई थी। सभी मामलों का पीआरटीएस में एक्सपर्ट की टीम ने विश्लेषण पूरा कर लिया है। इसमें सबसे अहम बिंदु ये सामने आया है कि प्रदेश में दर्ज सायबर मामलों में सबसे ज्यादा 42 प्रतिशत मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोपियों द्वारा किसी की फर्जी प्रोफाइल, अश्लील चित्र या मानहानि के उद्देश्य से अपराध को अंजाम दिया। जबकि दूसरे क्रम पर सर्वाधिक मामले पोर्नोग्राफी के सामने आए हैं।

इन श्रेणियों में हुआ विश्लेषण

आईजी वरुण कपूर के अनुसार सायबर क्राइम के विश्लेषण के लिए 15 श्रेणियां बनाई गई थीं। इनमें सायबर स्टाकिंग, सायबर बुलिंग, सायबर, डेफरमेशन, सायबर टेरेरिज्म, सायबर पोर्नोग्राफी, सायबर चीटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फ्राड, शापिंग फ्राड, गेम्बलिंग फ्राड, एटीएम फ्राड, हैकिंग, आईडेंटिटी थैफ्ट और डेटा थैफ्ट आदि शामिल थे। चीटिंग फ्राड श्रेणी में जॉब फ्राड, लॉटरी, रिलेशनशिप, प्रलोभन आदि बिंदु शामिल थे।

पुलिसकर्मियों को मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग

आईजी कपूर ने बताया कि उक्त अपराधों का विश्लेषण के बाद प्रकरणों की विवेचना और फिर अभियोजन की स्थिति की समीक्षा आदि के आधार पर पुलिसकर्मियों को नई चुनौती से निबटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमें इंटरनेट पर काम करते समय कई अहम सावधानियां रखनी चाहिए।

